30-01-2026	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

30.01.2026

पत्रावली पेश हुई।

दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित।

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम करमावास तहसील समदडी के खसरा संख्या 137 किस्म गै.मु.बेरा में प्रार्थी के खसरा संख्या 857/138 तक भूमिगत पाईप लाईन करीब 40 वर्ष पूर्व बिछाई गई है, जो वर्तमान मे चालू हालत में खसरा संख्या 137 में उक्त पाईप लाईन में प्रार्थी द्वारा लूणी नदी के खसरा संख्या 928/126 में कुंआ खोदकर विद्युत कनेक्शन लेकर वहां से भूमिगत पाईप लाईन को खसरा संख्या 137 में खसरा संख्या 858/138 में जाने वाली पाईप लाईन में पानी का कनेक्शन वर्ष 2002 में किया गया था तब से निरन्तर पाईप लाईन के जरिये विवादित भूमि में सिंचाई करता आ रहा है। दिनांक 07.11.2016 को विप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रार्थी के पुत्र वधु व पौत्री के साथ मारपीट उक्त पाईप लाईन को तोडकर अवरूद्ध कर उसे अपना पाईप जबरन डाल दिया गया है लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को उक्त अवरोध को हटाने हेतु तथा खसरा संख्या 137 से खसरा संख्या 858/137 तक में किसी भी प्रकार की बाधा या व्यवधान पैदा न करे इस हेतु विप्रार्थीगण के विरूद्ध आदेश फरमाया जावे।

विप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 857/138 के लिए विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 137 में से पाईपलाईन डालने की मांग की है। परन्तु तहसीलदार समदडी के रिपोर्ट अनुसार उक्त पाईपलाईन पहले से ही मौका फर्द में दर्शित बरंग गुलाबी अनुसार डाली हुई है लिहाजा प्रार्थी का प्र[illegible] अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.13 12:47:44 IST
Reason: SelfAttested

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बह[illegible] व पत्रावली का अवलोकन व मनन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए के प्रावधान अनुसार:–

(1) यह आवश्यक आत्यंतिक आवश्यक है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है ;और

(2) अन्य खातेदार की जो में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है:–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा अनुसार नया रास्ता तब ही कायम किया जा सकता है जब आत्यंतिक आवश्यकता हो। यदि कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद हो तो नया रास्ता घोषित नहीं किया जा सकता है।, 2022 (2) DNJ (Rev.) 1368 BORAD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER Brailal VS Maniram में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि ***जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है*** तहसीलदार समदडी के रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में दर्शित बरंग गुलाबी स्पष्ट करता है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में सिंचाई हेतु पाईपलाईन डाली हुई जो विगत 40 वर्षो से अनवरत रूप से चल रही है जिसे प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में भी स्वीकार किया है प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, प्रार्थी को पाईपलाईन हेतु नवीन रास्ते कायम करने की अत्यान्तिक आवश्यकता नहीं है।

लिहाजा तहसीसलदार समदडी के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने तथा रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.13 12:47:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)